दिनांक 09–07–2013 एवं 10–07–13 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों के पदाधिकारियों के साथ विडियो कान्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

1. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विडियो कान्फ्रेन्सिंग की शुरूआत करते हुए सभी को बताया कि कुछ दिनों से जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की मोनिटरिंग की जिम्मेवारी दी गयी है और मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह उनके साथ विडियो कान्फ्रेन्सिंग में उसकी समीक्षा की जाती रही है जिसके फलस्वरूप एवं बिजली कम्पनी के द्वारा गहन पर्यवेक्षण से स्थिति में काफी सुधार हुआ है; परन्तु इसमें और भी सुधार अपेक्षित है। अतः निम्न बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता है।
2. जुलाई,2013 तक शत–प्रतिशत वितरण ट्रान्सफॉरमर का मेन्टेनेन्स सुनिश्चित करायें तथा निर्धारित समयावधि में खराब ट्रान्सफॉरमर बदले जायें।
3. राजस्व संग्रहण की स्थिति खराब है। अविलम्ब राजस्व संग्रहण में तेजी लायें।
4. शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन, शत–प्रतिशत विपत्रीकरण एवं सभी उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत विपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किये जायें।
5. छापेमारी दल के पदाधिकारियों के साथ मार–पीट की घटनाओं में जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई किये जाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी जानी है। गिरफ्तारी भी की जानी होगी तथा जरूरत पड़ने पर विडियो कान्फ्रेन्सिंग में पुलिस अधीक्षकों को भी बुलाया जायगा तथा कितने एफ.आई.आर. में क्या कार्रवाई हुई तथा कितनी गिरफ्तारी हुई इसका रिपोर्ट लिया जायेगा।
6. शहरी क्षेत्र में Own Your Transformer Scheme के तहत होटलों, नर्सिंग होम, बड़े उपभोक्ताओं इत्यादि के यहाँ भुगतान के आधार पर डेडीकेटेड वितरण ट्रान्सफॉरमर के रूप में अधिष्ठापित किया जाना है।
7. जिला मुख्यालय में 24 घण्टा बिजली आपूर्त्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्य–योजना बनाकर विद्युत आपूर्त्ति में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे।
8. जिलाधिकारी रिकंडक्टरिंग की प्राथमिकता तय करेंगे तथा प्राथमिकता के अनुसार रिकंडक्टरिंग हुआ या नहीं इसकी जाँच निश्चित रूप से करेंगे।
9. विशेष अभियान चलाकर जुलाई,2013 तक शत प्रतिशत मीटर अधिष्ठापित कराया जाना है।
10. दर्ज एफ.आई.आर. के मामले में गिरफ्तारी एवं जुर्माना निश्चित रूप से किया जाना है।

12 जिन उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया गया वे बिलिंग सायकल में आये कि नहीं।

13. अधिक संख्या में शिविर लगाकर अधिक से अधिक संख्या में नये विद्युत् उपभोक्ता बनाया जाना है।

14. निर्देश दिया गया कि सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में ए०बी०स्वीच, शहरी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए लगाया जाना है।

15. एक लाख से अधिक राशि के बकायेदारों का लाईन प्राथमिकता के आधार पर पहले नियमानुसार काटा जाना है।

16. सरकारी उपभोक्ताओं का अलग लेजर मेन्टेन किया जाना है।

<u>विडियो कन्फ्रैंसिंग में जिला पदाधिकारियों को उर्जा सचिव एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का संक्षिप्त विवरण :</u>

(A) <u>विद्युत् system के रख–रखाव में तकनीकी निर्देश :</u>

1. जिलाधिकारी अपने स्तर से इसकी समीक्षा करेंगे कि जिले में कितना पावर allocated हैं तथा कितना पावर drawal हो रहा है। साथ ही ब्रेक डाउन का समय पर restoration हो जाय।
2. जिला मुख्यालय में पावर ट्रान्सफॉरमर से संबंधित contraiants दूर कर दिया जायेगा।
3. सभी ट्रान्सफॉरमर में AB Switch एवं Lightening Arrester लगवायें ।
4. ग्रामीण एवं शहरी फीडर को अलग–अलग करें।

(B) <u>राजस्व संग्रहण :</u>

1. पावर कम्पनी द्वारा अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए Performance Incentive Scheme लागू की गयी है।
2. **मीटर रिडिंग** :
   - (2.1) 01–07–2013 से मीटर रिडिंग एवं बिल वितरण के लिए नयी दर निर्धारित की गयी है। इसे लागू करायें।
   - (2.2) जिलाधिकारी मीटर रिडिंग की रैन्डम जाँच करायें।
   - (2.3) मीटर रिडिंग की इमेज सी०डी० की जाँच भी करायी जा सकती है।
   - (2.4) मीटर रिडिंग एजेन्सी फीडरवार भी रखी जा सकती है। इसके लिए सिक्यूरिटी डिपोजिट भी कम कर दिया गया है।
   - (2.5) मीटर रिडिंग एजेन्सी को दिये जा रहे दर का कम–से–कम 75 प्रतिशत मीटर रीडर को भुगतान किया जाना है।
   - (2.6) जिलाधिकारी स्तर पर होने वाली मीटर रिडिंग एजेन्सी के साथ बैठक में मीटर रीडर को भी बुलाया जाना है।

(2.7) इस माह ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों मे 100 प्रतिशत मीटर रिडिंग इस माह निश्चित रूप से किया जाना है।

(2.8) विपत्र वितरण एजेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं को विपत्र प्राप्ति का रसीद दिया जाना है।

(2.9) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर मीटर रिडिंग व राजस्व संग्रहण की समीक्षा की जानी है।

3. **मीटर अधिष्ठापन :**

(3.1) जिला पदाधिकारी मीटर अधिष्ठापन पूर्ण रुप से करायें।

(3.2) लगाये गये सभी मीटर को billing cycle में लाना सुनिश्चित करें।

(3.3) G.Proforma की भी समीक्षा की जानी है।

4. **राजस्व संग्रहण :**

(4.1) विद्युत आपूर्त्ति की स्थिति में काफी सुधार के बावजूद राजस्व वसूली अभी भी काफी कम है इस पर काफी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि विद्युत आपूर्त्ति को sustain किया जा सके।

(4.2) कई फीडर्स/गाँव से राशि की वसूली नगण्य है। इसकी समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

(4.3) प्रत्येक जिले में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम है। इसके लिए प्रखण्डवार अभियान चला कर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता बिल का भुगतान करें।

(4.4) सरकारी बकाये की स्थिति काफी खराब है, इसके लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से बैठक कर सभी सरकारी बकायों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।

(4.5) यह भी देखा जा रहा है कि अधिकतम बिल न्यूनतम खपत के आधार पर बिलिंग की जा रही है जिसके कारण राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है। MMC पर बिल जारी न हो, इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

(4.6) राजस्व संग्रहण कम होने की स्थिति में जिले में विद्युत कटौती भी की जा सकती है।

5. **सरकारी आवास/कार्यालय में विद्युत् उपयोग :**

(5.1) सभी सरकारी आवासों एवं कार्यालयों में मीटर अभी तक नहीं लगाये जा सके हैं। इसे इस महीने के अन्त तक लगवाना सुनिश्चित करवायें। मीटर रीडिंग के आधार पर विपत्रीकरण करवायें तथा विपत्र की वसूली सुनिश्चित करवायें।

(5.2) 31 जुलाई तक जिला पदाधिकारी इस बात को सुनिश्चित करवायें कि सभी व्यक्ति कनेक्शन ले लें अन्यथा विद्युत् चोरी करने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की जायेगी।

(5.3) जुलाई तक जिला पदाधिकारी यह प्रमाण–पत्र सभी पदाधिकारी व कर्मचारी से ले लें कि वे विद्युत् बिल का भुगतान कार्यालय व आवास का कर रहे हैं।

6. सर्टिफिकेट केस की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसके लिए अधिवक्ता रखकर मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

7. Voluntary Declaration of Load Scheme प्रारंभ हो गयी है। इसके तहत उपभोक्ता अपना लोड बढ़वा सकते हैं। इसका जिला पदाधिकारी अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार–प्रसार करवायें एवं साप्ताहिक अनुश्रवण करें।

8. **नया कनेक्शन :**

(8.1) वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम है।

(8.2) नये कनेक्शन का अभियान शहरी क्षेत्र में वार्डवार चलाया जाय।

(8.3) लंबित कनेक्शन आवेदन की समीक्षा की जाय।

(8.4) प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में भी कनेक्शन अभियान चलाया जाय।

9. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबन्धक की बैठक बुलायें तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से विद्युत् विपत्र जमा करवाना सुनिश्चित करवायें।

(C) <u>विद्युत् चोरी के विरुद्ध अभियान :</u>

1. हरेक विद्युत चोरी के मामले हेतु अलग–अलग एफ०आई०आर० दर्ज हो, इसे सुनिश्चित करायें।

2.. शहरी क्षेत्रों में दुकानों/प्रतिष्ठानों की जाँच विशेष रुप से करायी जाय।

3. बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कनीय विद्युत् अभियन्ता एवं सहायक विद्युत् अभियन्ता को 25–25 तथा विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता द्वारा 15 उपभोक्ताओं का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करायें।

5. बिजली चोरी के प्रत्येक मामले में फोटोग्राफी किये जाने का निर्णय लिया गया। फोटोग्राफ को प्राथमिकी में साक्ष्य के रुप में संलग्न किया जाना है। कनीय विद्युत् अभियन्ता के स्तर तक के पदाधिकारी को रु0 5000/– मोबाईल–सह–कैमरा के लिए स्वीकृति दी गयी है।

6. जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा इस अभियान को संरक्षण एवं नेतृत्व देना है।

(D) मानव संसाधन सम्बन्धी:

1. पिछले विडियो कन्फ्रेन्सिंग के दौरान कई जिलाधिकारियों द्वारा बताया गया था कि कन्ट्रैक्टर, वायरमैन एवं सुपरवाईजर इत्यादि को लाईसेन्स मिलने में दिक्कत होती है जिसके कारण बिजली वितरण क्षेत्र के कार्यों का सम्पादन निर्धारित समय पर नहीं हो पाता है। इस संबंध में परिपत्र निर्गत कर दिया गया है कि जिलाधिकारी स्तर पर ही कमिटी गठित किया जाना है जिसमें पावर कम्पनी के कार्यपालक अभियन्ता एवं जिला प्रशासन के एक पदाधिकारी रहेंगे तथा उसी कमिटी द्वारा कंट्रैक्टर, वायरमैन एवं सुपरवाईजर इत्यादि के लिए लाईसेन्स निर्गत किया जायेगा।
2. पिछले विडियो कन्फ्रेन्सिंग के दौरान कई जिलाधिकारियों द्वारा जिले में लाईनमैन, एस०बी०ओ०, खलासी इत्यादि की कमी बतायी गयी थी। निर्णय लिया गया है कि आउटसोर्सिंग पर लाईनमैन, एस०बी०ओ०, खलासी इत्यादि एजेंसी के माध्यम से रखा जा सकता है। इसके लिए विद्युत् आपूर्ति अवर प्रमण्डलवार संख्या निर्धारित कर दी गई है।

(E) अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

1. जिला स्तर पर उप समाहर्त्ता (विद्युत्) को चिन्हित किया जाय ताकि दिन–प्रति–दिन के मामलों पर कड़ाई से कार्रवाई की जाय तथा इसका अनुपालन बेहतर ढंग से की जाये।
2. ADB सम्पोषित प्रोजेक्ट व RGGVY की समीक्षा जिला स्तर पर की जाय।
3. विद्युत् दुर्घटनाओं से बचने के लिए जर्जर तारों को जिला पदाधिकारी चिन्हित करवा कर उन्हें प्राथमिकता से बदलवायें।
4. जमीन से संबंधित लम्बित मामलों का निष्पादन शीघ्र करें।
5. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ROW की समस्या को दूर करायें।
6. MPLADS एवं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत भी 16/25 के.वी.ए. ट्रान्सफॉरमर के क्षमता विस्तार की योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन तेजी से हो।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

कृ०प्र०उ०

ज्ञापांकः–प्र02 / विविध–वि0को0–18 / 13 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव / सचिव / अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र02 / विविध–वि0को0–18 / 13 4121 पटना, दिनांक– 12/8/13

प्रतिलिपि :–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना / प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/8/13

सरकार के अपर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।